

9/7/24

पत्रावली पेश इसी। वकील पत्रकारान अडु.
वाडी का वाड 09R3 जा.नी मे खारिज
किमा जा युका है इसलिये अब T. 5
प्रा-पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह
जाता है। इसलिये T. 5. प्रा-पत्र खारिज
किमा जाता है। पत्रावली केसल शुमार
होकर दर्ज नम्बर ले कम हो। आदेश
सुले-भाभातम मे शुनामा गमा / *oh*

उपरखण्ड अधिकारी
जाँभर लेक